



## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065  
CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल: [rmsc@nic.in](mailto:rmsc@nic.in)

Website: [www.rmsc.nic.in](http://www.rmsc.nic.in)

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/06-2017-18/2017/574 दिनांक 13.04.2018

### कार्यालय आदेश

M/s Shiva Biogenetic Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Village Manpura Tehsil Nalagarh, Distt Solan Baddi Himachal Pradesh 174101 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(169)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-01/2016/01 दिनांक 01.01.2016 के तहत औषधि Enalapril Maleate Tab IP 2.5 mg (code no. 195) के क्रयादेश क्रमांक 780 दिनांक 31.08.2016 के द्वारा 120000 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 274 दिनांक 02.05.2017 के द्वारा 160000 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 2199 दिनांक 19.12.2017 के द्वारा 102000 मात्रा 45 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे। फर्म द्वारा समय-समय पर औषधि आपूर्ति किये जाने हेतु निगम से अतिरिक्त समयावृद्धि अनुमत कराई गई।

फर्म द्वारा निर्धारित समय पर एवं अनुमत अतिरिक्त समयावृद्धि में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं की गई। उक्त औषधि अतिआवश्यक औषधि की श्रेणी में आने के कारण इसके अभाव में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकरण का एजेण्डा तैयार कर दिनांक 15.03.2018 को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। इस सम्बन्ध में निर्माता फर्म को दिनांक 16.03.2018 को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया। दिनांक 21.03.2018 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई। फर्म को सुनवाई का अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई है, जो आर.एम.एस.सी.एल. से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है। अतः अनुशासनात्मक समिति के निर्णय की अभिशंका के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Shiva Biogenetic Pharmaceuticals Pvt. Ltd. की औषधि Enalapril Maleate Tab IP 2.5 mg (code no. 195) को यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए खिबार किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(महावीर प्रसाद शर्मा)  
प्रबन्ध निदेशक

